

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22802
संख्या:अट्टारह-233-2021(एस0आई0 लिपिक) दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 20, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम	चयन वर्ष
1	5	871010027	जितेन्द्र कुमार सिंह	श्री शम्भू दयाल सिंह	27.02.1964	कानपुर आउटर	2021
2	6	912739500	दीप कुमार बाजपेई	श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेई	01.04.1966	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2021
3	12	870590276	कमलेश कुमार पाण्डेय	राम चन्द्र पाण्डेय	10.10.1965	जालौन	2021
4	13	882381206	रामरेख	बंशीधर	02.10.1966	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2021
5	15	880660048	आनन्द बिहारी चौबे	स्व0 ऋषिकेश चौबे	01.07.1965	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2021
6	20	892420157	नौशाद अहमद	स्व0 तौकीर अहमद	20.01.1970	25वीं वाहिनी पीएसी	2021
7	21	892590870	दुर्योधन लाल	श्री डल्ला राम	20.02.1964	मण्डलाधिकारी कार्यालय अयोध्या	2021
8	22	890020065	शशि तोमर	स्व0 श्री गुलाब सिंह	06.12.1965	महोबा	2021
9	23	890491038	शेष नारायण	स्व0 श्री अनन्त राम	02.07.1968	पीएसी मुख्यालय लखनऊ	2021
10	24	892031915	चन्द्रकान्त दीक्षित	स्व0 प्रकाश नारायण दीक्षित	31.12.1966	डी0जी0पी0 मुख्यालय लखनऊ	2021
11	25	890670488	श्रीमती मिथिला चतुर्वेदी	स्व0 अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	30.10.1968	सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ	2021
12	26	890680320	श्रीमती अंगूरी देवी	स्व0 हरिशंकर	01.08.1962	उ0प्र0 तकनीकी सेवाएं लखनऊ	2021
13	28	890380015	देव नारायण शुक्ल	चन्द्र मनोहर शुक्ल	01.07.1969	फिरोजाबाद	2021
14	29	902637814	विनोद कुमार पाण्डेय	स्व0 राजमणि पाण्डेय	15.12.1970	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2021
15	30	902100017	सुनील कुमार श्रीवास्तव	स्व0 राम खिलावन श्रीवास्तव	04.05.1968	एसएफएसटीसी उन्नाव	2021
16	31	900690312	संतोष कुमार सिंह	स्व0 लोकनाथ सिंह	28.06.1971	बलिया	2021
17	32	900650204	सर्वेश कुमार सक्सेना	स्व0 श्री बृजमोहन सक्सेना	07.12.1969	लखनऊ जोन	2021
18	33	900610095	विनोद कुमार मिश्र	श्री राम सजीवन मिश्र	05.08.1969	डी0जी0पी0 मुख्यालय लखनऊ	2021
19	35	900020014	श्रीमती रिजवाना	पत्नी स्व0 सिराज उद्दीन सिद्दीकी	05.07.1967	चन्दौली	2021
20	37	902700451	बृजेश कुमार सिंह	स्व0 चन्द्र प्रताप सिंह	07.01.1972	अम्बेडकरनगर	2021
21	38	904010020	श्रीमती पुष्पा देवी	स्व0 श्री योगेश कुमार शर्मा	24.10.1966	हाथरस	2021
22	39	902390184	श्री उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	स्व0 श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव	01.07.1968	32 वीं वाहिनी पीएसी	2021

23	40	902310043	गंगा राम	रव0 राम औतार	21.09.1971	डी0जी0पी0 मुख्यालय लखनऊ	2021
24	41	900800032	संजय श्रीवास्तव	स्व0 श्री कृष्ण बिहारी लाल श्रीवास्तव	01.07.1964	ई0ओ0डब्लू0 लखनऊ	2021
25	42	900670310	बेचे लाल	स्व0 श्री नत्थू लाल	29.06.1962	आगरा	2021
26	44	900020027	मंजू रानी	देवेन्द्र कुमार सिंह	02.10.1965	वाराणसी	2021

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21 /89- का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों:-


- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)


(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ/पीएसी मुख्यालय/तकनीकी सेवाएं /ई0ओ0डब्लू0/प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ/तकनीकी संवाएं/सीबीसीआईडी मुख्यालय /अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-पुलिस आयुक्त वाराणसी।
- 5-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
- 6-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
- 7-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद- कानपुर आउटर/जालौन/महोबा/फिरोजाबाद /बलिया /चन्दौली/अम्बेडकरनगर/हाथरस/आगरा/अयोध्या।
- 8-सेनानायक 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली/32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) _____ पुत्र

निवासी _____ थाना _____ जनपद _____

वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____ नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र _____ का पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 _____ द्वारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉब एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:अद्वारह-233-2021(एस0आई0 लिपिक) दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 20,2021

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(18)-2021 दिनांक 16.12.2021 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में 01 मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक उसके सापेक्ष चयन वर्ष-2021 के रिक्त रखे गये 01 पद के सापेक्ष काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है। यह काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। इन कार्मियों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

क्र० सं०	ज्ये० क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	45	900790067	अरुण कुमार मौर्य	राम अधार मौर्य	06-04-1970	ललितपुर	स्थानापन्न

2- उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3- मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4- स्थानापन्न अस्थायी पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन कानपुर
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी।
- 4- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश


टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:अद्वारह-233-2021(एस0आई0 लिपिक) दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 20, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997, दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2(क),(ख),(ग)में अंकित परिस्थितियों विद्यमान होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	मुहर बन्द लिफाफे का चयन वर्ष	संस्तुति/वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	27	892462636	श्री सर्वेश सिंह	श्री शिवराज सिंह यादव	31-12-1970	GRP AGA	2021	मुहर बन्द लिफाफा (रिक्ति सुरक्षित) 13/27

2- आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।



(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, रेलवे अनुभाग, आगरा।